भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2385

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

2385. श्री मोहम्मद आजम खां:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उन विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें केंद्र/राज्य सरकारों से अनुदान नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने/उनका उन्नयन करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जैसाकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सूचित किया गया है, देश में जो विश्वविद्यालय संघ/ राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनकी सूची http://www.ugc.ac.in/pdfnews/0659135_LSPQ-No2385-Annexures.pdf. पर उपलबध है।

(ख) से (घ): वे विश्वविद्यालय जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत शामिल हैं छात्र एवं अध्यापक केन्द्रित-योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। जैसाकि यूजीसी ने सूचित किया है, 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, यूजीसी अधिनियम,

1956 की धारा 12 (ख) के तहत शामिल 39 समवत विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

*****